उत्तर प्रदेश शासन
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या-08/2021(1655/21)/3/2/35-आ-2/2021-13
लखनऊ: दिनांक: 23 सितम्बर,2021
कार्यालय ज्ञाप

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) की अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-3451- सचिवालय आर्थिक सेवायें-101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-03 राज्य योजना आयोग के अन्तर्गत मद संख्या-16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद की सम्भावित बचतों में से रु. 40,00,000/- (रू0- चालीस लाख मात्र) की धनराशि को मद संख्या- 42- अन्य व्यय मद में पुर्विनियोग द्वारा स्थानान्तरित कर व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2- उक्त धनराशि इस शर्त के साथ उपलब्ध करायी जा रही है कि धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, पुर्नविनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा। व्यय नियमानुसार मितव्ययिता के आधार पर किया जायेगा तथा बचत की मद मे अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

3- उक्त पुर्नविनियोग हेतु वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- आर0ई0-71/वित्त-ई-5-34/दस-2021 दिनांक 14 सितम्बर, 2021 द्वारा सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-08/2021(1655/21)/3/2/35-आ-2/2021-13 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(द्वितीय)एम.सी.(सी) अनुभाग-4 उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3. वरिष्ठ आडिट अधिकारी (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद ।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. आहरण वितरण अधिकारी, राज्य योजना आयोग ।
6. अनुभाग अधिकारी लेखा, नियोजन सचिव शाखा, नियोजन विभाग ।
7. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
9. नियोजन अनुभाग-1
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 संजीव भारद्वाज)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।